

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

पत्रांक 1714 /ओबरा/ 15 भू0ह0

दिनांक- 04/02/2023.

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर
पता-220 के0वी0 सब स्टेशन, तलवल, गाजीपुर, उ0प्र0 ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753 /2020)

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय के पत्रांक-1467/वि0प्रे0खं0-गा0/ दिनांक-22.06.2022, इस कार्यालय के पत्रांक-218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-30.07.2022 तथा उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-पी-08/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-27.01.2023

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया (400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-30.07.2022 द्वारा उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या-पी-08/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-27.01.2023 द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है:-

1. प्रस्ताव में पूर्व लीज अवधि की कोई देयता अवशेष तो नहीं है ? क्या शर्तों का अनुपालन पूर्ण किया गया है ?
2. पूर्व लीज में 19.968हे0 वनभूमि (20 वर्षों) हेतु उल्लिखित है, जबकि नवीनीकरण के समय 7.5118हे0 वनभूमि 37 वर्षों की लीज पर मांगे जाने का औचित्य क्या है ? स्पष्ट किया जाय।
3. समतुल्य गैर वन भूमि (प्रस्तावित वनभूमि) उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता स्पष्ट नहीं है ?
4. प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिये जाने हेतु भी शर्तें अधिरोपित की जायेगी, उसका अनुपालन किये जाने की वचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।
5. प्रस्तावित स्थल इको-सेन्सिटिव जोन की सीमा में न होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (दूरी का अंकन किया जाय) उपलब्ध कराया जाय।
6. प्रस्तावित वन भूमि 20 वर्षों हेतु ही दिया जाना है, से सम्बन्धित वचनवद्धता उपलब्ध करायी जाय।

7. पृष्ठ 12 पर प्रस्तावित वन भूमि 7.518हे0 है, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों पर 7.5118हे0 है ? स्पष्ट किया जाय।
8. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-10.01.2023 द्वारा गठित परियोजना जांच समिति की संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप उ0प्र0 शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण करते हुए, वांछित सूचना/अभिलेख की पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अवलोकन हेतु उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-पी-08/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-27.01.2023 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 1714अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

o/c